रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272] नई दिल्ली, शुक्रवार मई 31, 1985/ज्येष्ठ 10, 1907
No. 272] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1985/JYAISTHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

अधिसूचना

का. आ. 435(अ):—केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के उप सचिव, श्री ए. के. लूथरा को पहली जून, 1985 से 17 जून, 1985 तक सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करता है।

[संख्या-एस-11011/2/84-एमीग्रेशन-II]

ए. के. टंडन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st May, 1985

NOTIFICATION

S.O. 435(E).---In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises appoints Shri A. K. Luthra, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Labour to be the competent authority with effect from 1st June, 1985 to 17th June, 1985.

[S. 11011/2/84-Emig.II]

A. K. TANDON, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985